

किया जाना आयन्दा पत्रिका  
को पेश हो।

3 <sup>11</sup>/<sub>15</sub> वकुलाथ फरीकेन उपस्थित अधिवक्तागण  
ने कार्य स्थगन किया हुआ है। पूर्वदिश  
पालना में दि० 21-12-15 को पेश होवे।

21 <sup>12</sup>/<sub>15</sub> वकुलाथ फरीकेन/वादा/उपस्थित पत्रिका  
अधिकारी बाहर पधारे हैं आयन्दा पत्रिका  
दि० 5-2-16 को पेश होवे।

सुन

5 <sup>2</sup>/<sub>16</sub> वकुलाथ फरीकेन/वादा/उपस्थित पत्रिका  
अधिकारी बाहर पधारे हैं आयन्दा पत्रिका  
दि० 5-2-16 को पेश होवे।

4 <sup>3</sup>/<sub>16</sub> वकुलाथ फरीकेन/वादा/उपस्थित पत्रिका  
अधिकारी बाहर पधारे हैं आयन्दा पत्रिका  
दि० 6/5/16 को पेश होवे।

6 <sup>5</sup>/<sub>16</sub> पत्रिका का अन्तर्गत कार्य प्रकाश लक  
अदालत/कोर्ट में निस्तारण कार्य को  
दिनांक 20/6/16 को पेश होवे।

सुन  
22/2/16  
आयन्दा

20 <sup>6</sup>/<sub>16</sub> आयन्दा पत्रिका को अन्तर्गत कार्य प्रकाश लक  
अदालत/कोर्ट में निस्तारण कार्य को  
दिनांक 20/6/16 को पेश होवे।





न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटा काशीम...  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) पंचसिम  
कैम्प कोर्ट का स्थान :- श्री १२ न्याय भवन...

राजीनामा

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, (500)  
श्री सुबोसिंह

दिनांक 20-9-16

बनाम वावरीया व ग्राम-4  
प्रकरण संख्या :- 243/6-071 अन्तर्गत धारा 100 RT Act 1955

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री सुबोसिंह निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

दोनों पक्षकारों के बीच अदालत के फैसले को ठीकी जमानत सहमत हुए।

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. सुबोसिंह  
2.  
3.  
4.

प्रतिवादी पक्ष 1. श्री वावरीया  
2.  
3.  
4.

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर  
(वादी पक्ष) Sarpanch Panchayat Pataliya P.S. Kothasim (Alwar), Raj.

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर  
(प्रतिवादी पक्ष) Sarpanch Panchayat Pataliya P.S. Kothasim (Alwar), Raj.

प्रार्थी/वादी सुबोसिंह एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी वावरीया द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामे की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्तखाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

( )  
पीठासीन अधिकारी